उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

पी0डी0 केश नं0-02/2018-19

गनौरी मंडल

बनाम्

प्रमोद दास वगै0

-: आदेश :-

दिनांक 11.05.

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रक्रिया आवेदक गनौरी मंडल पे0– स्व0 चंदरजीत मंडल सा0– कोरकाधाट थाना– पथरगामा जिला– गोड्डा के आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। आवेदक ने संथाल परगना काश्तकारी(पूरक) नियमावली 1950 के अनूसूची V के तहत विपक्षी सं0–1 प्रमोद दास को मौज कोरका के प्रधानी पद से बर्खासत करने के लिए आवेदन किया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि यह मामला मूल रूप में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय दिनांक–10.03.2013 किया गया था, जो पी0डी0 केश नं0–11/2013–14 संधारित किया गया था। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा अंचल अधिकारी, पथरगामा से प्रतिवेदन की माँग की गयी। इसके बाद आवेदक के द्वारा अंचल अधिकारी, पथरगामा के जाँच प्रतिवेदन का प्रतीक्षा किया जाने लगा। आवेदक के गरीबी के कारण आवेदक प्रत्येक तिथि को न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पा रहे थे। अंचल अधिकारी, पथरगामा के, द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय में दिनांक– 18.04.2018 तक कोई भी जाँच प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया था। जबकि अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा दिनांक–09.07.2013 से अंचल अधिकारी, पथरगामा को जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु आदेश दिया गया था। उनका आगे कथन है कि विपक्षी सं0–1 ने न्यायालय को धोखें में रखकर मौजा के अंतिम प्रधान के उत्तराधिकारी के हैसियत से मौजा कोरका का प्रधान नियुक्त हो गया है। जबकि सही तथ्य यह है कि विपक्षी सं0–1 के पिता मौजा के अंतिम प्रधान नही थे जिसके आधार पर विपक्षी सं0–1 मौजा कोरका के प्रधान नियुक्त हुए हैं। मौजा खास था और

Scanned with CamScanner

कर्मचारी के द्वारा मौजा की लगान वसूली का कार्य किया जा रहा था और ऐसी स्थिति में मौजा के सौलह आना रैयतों के सहमति पर संथाल परगना काश्तकारी(पूरक) 1949 की धारा 5 के तहत मौजा कोरका प्रधान नियुक्ति किया जाना था। इसलिए विपक्षी सं0–1 की नियुक्ति के संबंध में धोखाधड़ी एवं नियुक्ति की जाँच आवश्यक है जो पी0ए0 केश नं0– 47/2010–11 के द्वारा मौजा कोरका का प्रधान नियुक्त किया गया है। साथी ही साथ नियुक्ति के लिए प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया गया है। उन्होनें विपक्षी सं0–1 को मौजा कोरका के प्रधानी पद से बर्खास्त करने के लिए अनुरोध किया है।

विपक्षी सं0–1 के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि विपक्षी सं0–1 प्रमोद रामदास मौजा कोरका नं0–259 के प्रधान है, जिनकी नियुक्ति अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा आदेश दिनांक–02.08.2011 के द्वारा की गयी थी। उनका आगे कथन है कि विपक्षी सं0–1 मौजा के अंतिम प्रधान दीनदयाल रामदास के पोता हैं एवं प्रधानी नियुक्ति सं0–47/2010–11 के द्वारा अंचल अधिकारी, पथरगामा से प्रतिवेदन के आधार पर नियमानुकूल विपक्षी सं0–1 की नियुक्ति की गयी है। ऐसी स्थिति में आवेदक का आवेदन चलने योग्य नही है। उन्होनें आवेदक के आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

इस संबंध में अंचल अधिकारी, पथरगामा के पत्रांक–631/रा0 दिनांक–28.11.2020 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–कोरकाघाट, थाना नं0–259, जमाबंदी नं0–01 जमावन्दी रैयत दीन दयाल रामदास प्रधान वल्द सीताराम दास जाति सुण्डीक वैश शाकिन देह किस्म रैयत प्रधानी जोत रकवा 00–13–16 धूर गेंजर सेटलमेंट पर्चा मे अंकित है। श्रीमान् अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय गोड्डा पी0ए0 वाद सं0–47/2010–11 आदेश दिनांक–02.09.2011 के द्वारा विपक्षी सं0–1 को मौजा–कोरका का प्रधान नियुक्त किया गया। पट्टा प्रधान मौजा कोरका के जमावन्दी नं0–35 के वंशज हैं एवं गनौरी मंडल मौजा कोरका के जमावन्दी नं0–30 के वंशज हैं। पट्टा प्रधान प्रमोद रामदास के दादा के नाम जमावन्दी 1 कायम है जिसमें किस्म प्रधानीजोत अंकित है। आगे प्रतिवेदित किया गया

Scanned with CamScanner

है कि स्थलीय जाँच क्रम में ग्रामीण मुखिया के उपस्थिति में सोलह आना रैयत –रु0 85 (पचासी) रैयतों द्वारा प्रधान प्रमोद रामदास की पुष्टि की है।

उपरोक्त तथ्यों, अंचल अधिकारी, पथरगामा से प्राप्त जाँच एवं उभय पक्ष के बहस से स्पष्ट होता है कि आवेदक ने विपक्षी सं0–1 को मौजा कोरका नं0–259 के प्रधानी पद से बर्खास्त करने के लिए आवेदन किया है। उनका कथन है कि विपक्षी सं0–1 का मौजा कोरका के प्रधानी पद पर गलत नियुक्ति हुई है। परंतु अंचल अधिकारी, पथरगामा के जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी सं0–1 प्रमोद रामदास के दादा के नाम से जमाबंदी सं0–1, कायम है जिसमें किस्म जमीन प्रधानी जोत अंकित है। आवेदक ने प्रधान नियुक्ति के विरूद्ध अपील दायर नहीं करके विपक्षी सं0–1 को प्रधानी से बर्खास्त करने के लिए आवेदन दाखिल किये है। लेकिन संथाल परगना काश्तकारी(पूरक) नियमावली 1950 के अनुसूची V के Dismissal of Headman में वर्णित बिन्दुओं के आधार पर विपक्षी सं0–1 को प्रधानी से बर्खास्त करने के लिए आवेदक की ओर से कोई सबूत या कागजात प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी स्थिति में आवेदक का विपक्षी सं0–1 को प्रधानी पद से बर्खास्त करने से संबंधित आवेदन स्वीकृत करने योग्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आवेदक का आवेदन खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

12.03.22

उपायुक्त,
गोड्डा।

12.03.22

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.07 13:33:58 +05:30
Location: 192.168.29.32

Scanned with CamScanner